न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 233 / 2023

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

प्रार्थीगण

1. भारूराम पुत्र मूलाराम
2. घमण्डाराम पुत्र मूलाराम
3. ताजाराम पुत्र मूलाराम
4. रावताराम पुत्र मूलाराम
5. मांगीदेवी पुत्री मूलाराम जातियान जाट निवासी परमेश्वर नगर तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण

1. वीरमाराम पुत्र भीखाराम
2. भीयाराम पुत्र भीखाराम
3. हरचन्दराम पुत्र भीखाराम
4. मानाराम पुत्र बन्नाराम जातियान जाट निवासी परमेश्वर नगर तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
5. शाखा प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक हाल राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सड़ा जिला बालोतरा
6. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल सारण, वकील प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री पाबुराम बेनिवाल विप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से अनुस्थित।
3. राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) विप्रार्थी संख्या 6 की ओर से उपस्थित। शेष एकतरफा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Sing Ashiya
Date: 2024.09.04 14:48:55 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक- 20.06.2

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 112 रकबा 13.0006 हैक्टेयर ग्राम परमेश्वर नगर पटवार क्षेत्र सड़ा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में अवस्थित है। उक्त खेत से सड़क मार्ग तक आने

हुई है। वर्षात के मौसम में काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत खसरा संख्या 112 के चारों ओर से काश्तकार अपनी काश्त कर लेते है जिससे प्रार्थीगण को अपनी जोत में जाने से बाधित हो जाते है एवं हर बार रास्ते को लेकर भारी विरोध होता है। जिससे प्रार्थीगण को अपने खेत तक आने जाने में समस्या आती है। उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थीगण ने खसरा संख्या 112 रकबा 13.0006 हैक्टेयर ग्राम परमेश्वर नगर पटवार क्षेत्र सड़ा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा से सड़क मार्ग तक जोने हेतु विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के खेत खसरा संख्या 154 हैक्टेयर 7.8797 मौजा परमेश्वर नगर पटवार मण्डल सड़ा तहसील सिणधरी में से होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी संख्या 1 से 5 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवादी अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 6 की ओर से राज. पैरोंकार नायब तहसीलदार उपस्थित रहे तथा विवादित भूमि की मौका रिर्पोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3. प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस कि थी कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि खसरां संख्या 112 रकबा 13.0006 हैक्टेयर मौजा परमेश्वर नगर पटवार मण्डल सड़ा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में अवस्थित है। उक्त खेत से सड़क मार्ग तक आने जाने हेतु विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की खातेदारी खेत संख्या 154 हैक्टेयर 7.8797 मौजा परमेश्वर नगर पटवार मण्डल सड़ा तहसील सिणधरी भूमि आयी हुई है। एवं काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत खसरा संख्या 112 के चारों ओर से काश्तकार अपनी काश्त कर लेते है

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:48:55 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी सिणधरी

जिससे प्रार्थीगण को अपनी जोत में जाने से बाधित हो जाते है एवं हर बार रास्ते को लेकर भारी विरोध होता है। जिससे प्रार्थीगण को अपने खेत तक आने जाने में समस्या आती है। विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 का खेत सरकारी रास्ता से जुड़ा है जो मौके पर स्थाई रूप से बारहमासी चलायमान सरकारी रास्ता है और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। आगे और कथन किया कि प्रस्तावित रास्ते की तहसीलदार सिणधरी द्वारा मौका जांच की गई और मौका रिपोर्ट दिनांक 30.05.2024 के अनुसार प्रार्थीगण को रास्ता दिए जाने की अनुशंषा की गई है। अतः तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के पक्ष में रास्ता निकालने की सिफारिश प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 1 से 4 को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है। इससे अदालत को यह प्रतीत होता है,कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार किये जाने की विप्रार्थीगण की स्वीकृति है। ऐसी सूरत में उक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है और तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तावित रास्तें का मौका मुआयना करने से पूर्व जरिये नोटिस पक्षकारान को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में मौका जांच कार्यवाही की गई। जो मौका रिपोर्ट के संलग्न नोटिस अवलोकन से भी स्पष्ट है। इस प्रकार रास्ते हेतु खसरा संख्या 154 क्षेत्रफल 7.8797 हैक्टयर में लम्बाई 9 मीटर व चौड़ाई 9 मीटर रकबा 81 वर्गमीटर अथार्त 0.0081 हैक्टयर का रास्ता प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित भूमि की डीएलसी दर अंसिचित सड़क के पास राशि–6,56,490/–रूपयें प्रति हैक्टयर है [illegible] रास्ते में प्रभावित भूमि के खातेदारान को उक्त भूमि की डीएलसी दर से दुगुनी राशि प्रार्थीगण से दिलवाने जाने का प्रावधान है। इस प्रकार मौजा परमेश्वर नगर पटवार मण्डल सड़ा तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 154 क्षेत्रफल 7.8797 हैक्टयर में लम्बाई 9 मीटर व चौड़ाई 9 मीटर रकबा 81 वर्गमीटर अथार्त 0.0081 हैक्टयर की

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:48:55 IST
Reason: SelfAttested

राशि–10700/–विप्रार्थी संख्या 1 से 4 को दी जानी प्रस्तावित है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है और उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण रास्ता पाने के हकदार है। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि के बदले क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने हेतु सहमत है।

6.लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा परमेश्वर नगर पटवार मण्डल सड़ा तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 154 क्षेत्रफल 7.8797 हैक्टयर में लम्बाई 9 मीटर व चौड़ाई 9 मीटर रकबा 81 वर्गमीटर अथार्त 0.0081 हैक्टयर की राशि–10,700/–विप्रार्थी संख्या 1 से 4 को भुगतान करतें हुए मौका रिपोर्ट के सलंग्न दर्शित नक्शे में बरंग लाल कलर ——दर्शाये अनुसार चौड़ा रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 से 4 को क्षतिपूर्ति कुल राशि–10700/–अक्षरे दस हजार सात सौ रूपयें मात्र तहसील कार्यालय सिणधरी में संधारित जी.ए.55 रसीद के जरिये राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिणधरी को उपरोक्तानुसार में प्रस्तावित रकबानुसार रास्ते में जाने वाली भूमि का राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिणधरी के पत्र कमांकःभू.अ./वाद/2024/1397 दिनांक 30.05.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:48:55 IST
Reason: SelfAttested

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 20.06.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।